उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–41/2022–23

सरकार

बनाम्

इरीका स्वर्ण मराण्डी

—: आदेश :—

दिनांक 7/2/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला गोड्डा मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–156/2022 दिनांक–03.06.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–2715/अप0शा0 दिनांक–18.07.2022 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17F-4028, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17F-4028, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17F-4028, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17F-4028, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक इरीका स्वर्ण मराण्डी, पिता–सुशील दास, सा0–बोरियो संथाली, थाना–बोरियो, जिला–साहेबगंज के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17F-4028, ट्रेलर

निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं उस पर लदे बालू के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दायर करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी इरीका स्वर्ण मराण्डी का कथन है कि जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17F-4028 आशा मोटर शो रूम, महागामा के डीलर निगम भगत से खरीदा गया था। लेकिन बाद में शेष राशि का समायोजन कर उक्त ट्रैक्टर से नये ट्रैक्टर बदल लिया गया है। उक्त ट्रैक्टर विपक्षी के कब्जे में नहीं है। बल्कि डीलर निगम भगत के कब्जे में है। इसमें विपक्षी का कोई सरोकार नहीं रह गया है। इसके बाद निगम भगत से कारण–पृच्छा की मांग की गई। निगम भगत की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। इरीका स्वर्ण मराण्डी का दावा झुठा एवं निराधार है। उनके द्वारा यदि उक्त ट्रैक्टर को बदला गया है तो उसके लिए इरीका स्वर्ण मराण्डी को कागजात दाखिल करना चाहिए था। लेकिन उनके द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी निगम भगत ने राजसात से अपने को मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। गोड्डा मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–156/2022 दिनांक–03.06.2022, भा0द0वि0 की धारा–379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर गोड्डा मुफस्सिल थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तो के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17F-4028, ट्रेलर निबंधन

संख्या अंकित नहीं, को बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि जप्त वाहन के मालिक के रूप में इरीका स्वर्ण मराण्डी का नाम सत्य पाया गया है। विपक्षी निगम भगत का कथन है कि इरीका स्वर्ण मराण्डी का दावा गलत है। चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 8000.00 (आठ हजार) रू0 जुर्माना राशि एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17F-4028, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.03.04 11:46:37 +05:30
Location: 172.25.192.1